**श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, भा0प्र0से0, समाहर्त्ता, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 07.08.2013 को समाहरणालय सभाकक्ष में सम्पन्न राजस्व समन्वय समिति की मासिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-**

1. उपस्थिति – यथापंजी।

2. बाढ़ :-

सर्वप्रथम जिला के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के संबंध में जिला के सभी अंचलाधिकारियों से जानकारी प्राप्त की गयी एवं अधोहस्ताक्षरी के द्वारा भ्रमण के दौरान प्राप्त जानकारी उन्हें दी गयी। अंचल अधिकारी, सदर के द्वारा बताया गया कि अमरपुर उच्च विद्यालय जो लखीसराय जिला के सूर्यगढ़ा अंचल में पड़ता है, उसमें सदर अंचल के कुतलुपुर परोड़ा टोला के बाढ़ से प्रभावित परिवार रह रहे हैं। चूंकि अमरपुर हाई स्कूल के नजदीक पड़ता है।

अंचल अधिकारी,सदर को निदेश दिया गया कि गत् वर्ष की भाँति ही लोगों को खाना – पीना की व्यवस्था करेंगे। लाइट के लिए जेनरेटर की व्यवस्था करेंगे। कैम्प में रह रहे बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षा हेतु जिला पदाधिकारी, लखीसराय को संसूचित किया गया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र सदर, बरियारपुर, धरहरा एवं कुछ भाग खड़गपुर अंचल के जो बरियारपुर क्षेत्र के नजदीक पड़ता है, निदेश दिया गया कि बाढ़ पीड़ितों के लिए हर तरह की सहायता के लिए तत्पर रहें। जिस – जिस स्कूल में बाढ़ पीड़ित हैं, वहाँ रोशनी के लिए जेनरेटर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। सिविल सर्जन, मुंगेर को निदेश दिया गया कि प्रत्येक शिविर में स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध करायेंगे। अंचल अधिकारी अपने स्तर से भी अनुश्रवण करेंगे कि मेडिकल टीम शिविर में जाकर कार्य कर रहे हैं कि नहीं ? बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया कि नाव पर Over Loading नहीं होना चाहिए। समय–समय पर इसकी जाँच की जाय।

अंचल अधिकारी, धरहरा, बरियारपुर एवं खड़गपुर द्वारा बताया गया कि नाव के नाविक का प्रतिदिन मजदूरी 142 रूपये एवं नाव का 36 रूपये पूर्व से निर्धारित है। इतना कम राशि में नाव एवं नाविक मिलने में कठिनाई हो रही है। प्रभारी पदाधिकारी आपदा प्रबंधन को निदेश दिया गया कि इस संबंध में सरकार से पत्राचार करेंगे।

3. भूमि बैंक :-

भूमि बैंक के संबंध में जिला मुख्यालय के लिए 100.00 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का निदेश अनुमंडल पदाधिकारी सदर, अंचल अधिकारी, सदर एवं जमालपुर को निदेश दिया गया था, परन्तु अभी तक उनके द्वारा प्रस्ताव नहीं दिया गया है।

अपर समाहर्त्ता, मुंगेर को निदेश दिया गया कि इस संबंध में जल्द से जल्द भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव देंगे नही तो इसकी सारी जवाबदेही अपर समाहर्त्ता की होगी।

4. नवसृजित भूमिहीन प्राथमिक विद्यालय, आँगनबाड़ी केन्द्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र, सामुदायिक भवन :-

जिला के सभी अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि प्रत्येक बृहस्पतिवार को प्रखंड/अंचल स्तरीय साप्ताहिक बैठक में प्रखंड स्तर के सभी पदाधिकारी यथा सी0 डी0 पी0 ओ0, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल